

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-प.2(1453)डीओआईटी/संस्था/13/2/29830/2015 जयपुर, दिनांक 16/03/2015

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को जिन्होंने अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कालम सं. 5 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल के V के क्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.14(1)वित्त (नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 के अनुसार सूचना सहायक पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे-2800 में मूल देय वेतन 11170/- (8370 + ग्रेड पे 2800) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री लेखराज महावर	जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी	07.11.2012	10.12.2014	11.12.2014

उक्त सूचना सहायक श्री महावर, सूचना सहायक द्वारा 90 दिवस से अधिक उपभोग किये गये असाधारण अवकाश 34 दिवस (दिनांक 19.11.2012 से 21.12.2012 = 33 दिवस, दिनांक 04.03.2013 से 31.05.2013 = 89 दिवस तथा दिनांक 02.09.2013 से 06.09.2013 = 05 तक) के लिए श्री महावर के परीवीक्षाकाल में एतद् द्वारा में वृद्धि (दिनांक 10.12.2014 तक) की गई थी जो दिनांक 11.12.2014 को पूर्ण हो गई है।

उक्त सूचना सहायक का वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्सम्बन्धी इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त सूचना सहायक की आगामी वेतन वृद्धि की आदेश दिनांक 09.12.2013 से दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2017 होगी।

आज्ञा से,


(ए.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं सयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।


कार्यालयाध्यक्ष